मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

-::आदेश::-

1613
14/8/17

संचालक (प्रशासन) 201 (Gov)
दिनांक 21/8/17

भोपाल दिनांक 9 /08/2017

क्रमांक एफ 10-48/2006/सत्रह/मेडि-02:: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.07.2017 को अधिकृमित करते हुए श्री कवीन्द्र कियावत, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निम्नलिखित कार्य आवंटित किया जाता है:-

1. विभाग के अंतर्गत प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण छोड़कर शेष के स्थानांतरण संबंधी कार्य।
2. शासन के विरूद्ध संस्थित न्यायालयीन प्रकरणों में पक्ष समर्थन, न्यायालयीन निर्णयों के पालन में विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदनों का निराकरण (विशिष्ट अधिकारी के नाम से अवमानना प्रकरणों को छोड़कर)
3. लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा से संबंधित समस्त कार्य।
4. विधान सभा की लोक लेखा समिति/आश्वासन समिति एवं अन्य समितियों से संबंधित मामलें।
5. विभागीय परामर्शदात्री समिति से संबंधित मामलें।
6. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य आयोगों से संबंधित मामलें।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलें।
8. खाद्य एवं औषधि प्रशासन से संबंधित मामलें, अपील छोड़कर।
9. फार्मेसी कौंसिल।
10. लोकायुक्त/विभागीय जांच/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक एवं समयमान वेतनमान से संबंधित कार्य।
11. मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव मॉनिट प्रकरण/परख/जन शिकायत

2/- ऐसे मामले जो प्रमुख सचिव द्वारा निराकरण के लिए सौंपे जाए।

क. कण्डिका-3 के निर्देशों के अधीन रहते हुए सचिव द्वारा उन्हें आवंटित मामलों की नस्तियां, कार्य नियमों के अनुसार माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी को प्रस्तुत की जायेंगी या अपने स्तर से निराकृत की जायेंगी।

3/- सचिव के द्वारा निम्न वर्गो के मामले प्रमुख सचिव को प्रस्तुत किये जायेंगे :-

क. मंत्रि-परिषद् के मामलें।

ख. समन्वय के मामलें (स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर)

ग. मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव द्वारा ली जाने वाली बैठकें।

घ. ऐसे मामलें जिनमें नीति का प्रश्न निहित हो।

ङ. ऐसे मामलें जिन्हें प्रमुख सचिव प्रस्तुत करने के निर्देश दें।

च. ऐसे मामलें जो सचिव अपने विवेक से प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक/उचित समझे।

छ. लोकायुक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति से संबंधित प्रकरण ।

JD(OE)/DD(G)/Comp

MJS

परंतु प्रमुख सचिव के अवकाश अथवा प्रवास पर होने की स्थिति में उपयुक्त वर्ग क से च तक के जरूरी मामलें सचिव द्वारा कण्डिका-5 के अनुसार निराकृत किये जायेंगे तथा कार्य उपरांत प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

4/- प्रमुख सचिव, विभाग के किसी भी मामलें को बुलाकर व्यवहारिक करने के लिए स्वतंत्र रहेगें।

11 AUG 2017 HC 1928 11.8.17

(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 10-48/2006/सत्रह/मेडि-02, भोपाल, दिनांक 9 /08/2017,

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव/सचिव, म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. श्री कवीन्द्र कियावत, सचिव, म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल। Dir (खाद्य)
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल। Dir NHM
7. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, अरेरा हिल्स, भोपाल।
8. अवर सचिव, म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
9. अनुभाग अधिकारी (शाखा-1, 2 एव 3) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. स्टॉक फाईल।

प्रमुख सचिव 9/8
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Scan/order file